न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0
प्रा0 पत्र सं0 06/2013 आवंटन नियम 14(4)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

कालू पुत्र भूरा जाति कोली निवासी तीतरवाडा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान (फोत)

1.1 भरताराम पुत्र कालू
1.2 रामनाथ पुत्र कालू
1.3 डालचद पुत्र कालू
1.4 छोटेलाल पुत्र कालू
1.5 भगवती पत्नि नारायण पुत्र कालू
1.6 चिरंजीलाल पुत्र नारायण पुत्र कालू
समस्त जाति कोली निवासी तीतरवाडा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970
उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री मिटठन लाल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांकः 22.12.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम तीतरवाडा कला द्वारा दिनांक 30.11.2004 को ग्राम तीतरवाडा खुर्द तहसील दौसा के आ0ख0नं0 276 रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी कालू पुत्र भूरा कोली (फोत) को किया गया। आवंटी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम तीतरवाडा कला द्वारा अप्रार्थी कालू पुत्र भूरा जाति कोली(फोत) निवासी तीतरवाडा खुर्द को दिनांक 30.11.2004 को ग्राम तीतरवाडा खुर्द तहसील दौसा के आ0ख0नं0 276 रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन किया गया था किन्तु आवंटी द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी कालू पुत्र भूरा जाति कोली(फोत) को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस में दलील है कि अप्रार्थी भरताराम, नारायण, रामनारायण, छोटया, डालू पिसरान कालू साबिक खसरा नंबर 3613, 3614, 3615 रकबा 06 बीघा 13 बीघा के खातेदार बद्री पुत्र सुंदरलाल जाति ब्राहमण से दिनांक 16.8.1984 को बिल एवज दस हजार रूपये में कय की गई थी। तब से लेकर आज दिनांक तक आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। हाल खसरा नंबर 276 का मिलान साबिक खसरा नंबर 25 से गलत बताया गया है। वास्तव में यह भूमि खसरा नंबर 3613, 3614,3615 का भाग है। सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा भूमि को सिवायचक अशुद्ध दर्ज करने की वजह से अप्रार्थीगण के पिता कालू पुत्र भूरा को दिनांक 30.4. 2001 को आवंटित फरमादी गई। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के पिता कालू की मृत्यु के बाद समस्त भाईयों का कब्जा लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थीगण आराजी का हर कदर उपयोग करते आ रहे है और आराजी पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। आवंटन नियम 1970 नियम 14(3) की शर्तो को अब हटा लिया गया है। ऐसी सूरत में तहसीलदार द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। आवंटनशुदा आराजी एवं आवंटी योग्य अप्रार्थी रहे है। आराजी के आवंटन के समय प्रार्थी द्वारा कोई मिस रिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है और ना ही छल कपट तरीके से आवंटन कराया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार दौसा स्वयं आवंटन कमेटी पर उपस्थित था तथा उसके स्वयं के आवंटन आज्ञा पर हस्ताक्षर है, तो फिर जान बूझकर गलत प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी कालू पुत्र भूरा जाति कोली (फोत) को दिनांक 30.11.2004 को ग्राम तीतरवाडा खुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 276 में से 0.20है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2065 से 2068 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि पर चारों साल में बाजरा व सरसों की फसल की काश्त का अंकन है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ग्राम तीतरवाडा खुर्द के आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 0.20है0 जो कालू पुत्र भूरा जाति कोली सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह कथन कि हाल खसरा नंबर 276 का मिलान साबिक खसरा नंबर 25 से गलत बताया गया है। वास्तव में यह भूमि खसरा नंबर 3613, 3614,3615 का भाग है। सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा भूमि को सिवायचक अशुद्ध दर्ज करने की वजह से अप्रार्थीगण के पिता कालू पुत्र भूरा को दिनांक 30.4. 2001 को आवंटित कर दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया कि आवंटित भूमि खसरा नंबर 3613 से 3615 का ही भाग है। साथ ही आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार साबित नहीं होता है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति मुकाम तीतरवाडा कला द्वारा दिनांक 30.11.2004 को अप्रार्थी कालू पुत्र भूरा जाति कोली(फोत) को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम तीतरवाडा कला की बैठक दिनांक 30.11.2004 द्वारा ग्राम तीतरवाडा खुर्द में अप्रार्थी कालू पुत्र भूरा कोली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(फोत) के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official